

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2433]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2014/अग्रहायण 10, 1936

No. 2433]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2014/AGRAHAYANA 10, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 3026(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ग के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (23ग) के उप-उपवाक्य (iv) और (v) में निहित उपबंधों के अनुसरण में और संख्या का.आ. 851(अ), दिनांक 30 मई, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 30 मई, 2007 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसे, अधिक्रमण से पूर्व की गई या न की कई वस्तुओं को छोड़कर, एतद्वारा, आयकर आयुक्त (छूट) को 'विनिर्दिष्ट तारीख' से धारा 10 के उपवाक्य (23ग) के उप-उपवाक्य (iv) और उप-उपवाक्य (v) के प्रयोजनार्थ 'निर्धारित प्राधिकारी' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. उपरोक्त नियम 2ग के प्रयोजनार्थ 'विनिर्दिष्ट तारीख' 15 नवम्बर, 2014 होगी।

[अधिसूचना सं. 75/2014/फा. सं. 196/26/2014-आकनि-I]

रोहित गर्ग, उप-सचिव